न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09 / 2024

1. हेमराज बैरवा पुत्र मदनलाल दत्तक पुत्र रमेश उर्फ पप्पू जाति बैरवा निवासी सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

(प्रार्थी / निगरानीकार)

बनाम

1. ग्राम पंचायत सेवा, पंचायत समिति मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. मनीषा देवी पत्नी श्री शंकर लाल बैरवा निवासी ग्राम सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

(अप्रार्थीगण / गैरनिगरानीकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 27.07.2022, बुक नम्बर 143, संकल्प संख्या 3, पट्टा संख्या –02 ग्राम पंचायत सेवा, पंचायत समिति मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

1. श्री प्रमोद कुमार जैन विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ।
2. श्री रामेश्वर प्रसाद विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व श्री शेख अनवर आदि अप्रार्थी संख्या 2 ।

निर्णय दिनांक – 23.01.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत सेवा, पंचायत समिति मौजमाबाद के आदेश दिनांक 27.07.2022, बुक नम्बर 143, संकल्प संख्या 3, पट्टा संख्या – 02 गैर निगरानीकार संख्या 2 मनीषा देवी पत्नी श्री शंकर लाल बैरवा निवासी ग्राम सेवा, तहसील मौजमाबाद के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक दिनांक 14.05.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी की गई तथा निगरानीधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद उपस्थित आये व गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शेख अनवर आदि उपस्थित आये। अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/ निगरानीकार ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत करते हुए नियम विरूद्ध 27.07.2022 को पट्टा संख्या 02 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करवा लिया जबकि उक्त भूमि आज भी खाली पडी हुई है। पंचों की मौका रिपोर्ट हेतु जिन वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया उनमें कोई भी वार्ड पंच स्थाई नहीं होकर अन्य थे। निगरानीकार संख्या 1 हेमराज बैरवा, रमेश उर्फ पप्पू पुत्र स्व. देवाराम का दत्तक पुत्र है। रमेश उर्फ पप्पू द्वारा स्वेच्छा से एवं अपने जीवनकाल में निगरानीकार संख्या 1 को अपना दत्तक पुत्र ग्रहण किया था, उक्त गोदनामा नोटैरी पब्लिक के रजिस्टर्ड कमांक 314 दिनांक 28.5.2015 को जयपुर शहर में निष्पादित किया हुआ है। उक्त बाडे की भूमि रमेश उर्फ पप्पू की पैत्क भूमि है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लिये व बिना निस्तारण के पट्टा जारी किया गया। संकल्प संख्या 23 में कांट छांट कर संकल्प संख्या 3 दर्ज किया गया है। पत्रावली में सजरा प्रमाण पत्र 18 माह पश्चात शामिल मिसल किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.12.2024 को जारी कर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि निगरानीधीन भूमि बाबत् कोई भी पानी का कनेक्शन जारी किया हुआ नहीं है व ना ही विचाराधीन है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्रांक 235/2022–23 दिनांक 20.12.2022 को श्रीमान् विकास अधिकारी मौजमाबाद को प्रेषित कर पट्टा संख्य 02 निरस्त करवाने का अनुरोध किया है। अतः निवेदन है कि बुक नम्बर 143 संकल्प संख्या 03 के द्वारा पट्टा संख्य 02 व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लिखित ने लिखित बहस में निवेदन किया कि गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है, वह राजस्व कैम्पों में कार्य की अधिकता के कारण भूलवश किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने तथ्यों को छिपाते हुये एवं गलत जगह का मौका मुआयना करवाकर उक्त पट्टा फर्जी तरीके से राजस्व कैम्पों में विधि विरूद्ध जारी हो गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत सजरा दूसरी पत्रावली में पेश किया गया था जो उक्त पत्रावली में सहवन से शामिल हो गया है। उक्त प्रकरण संज्ञान में आने पर ग्राम पंचायत द्वारा जरिये पत्र कमांक 235/2022–23 दिनांक 12.10.2022 को विकास अधिकारी मौजमाबाद को पत्र प्रेषित कर पट्टा गलत जारी होने बाबत् अवगत करवा दिया गया था। अतः गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी पट्टा संख्या 02 बुक नम्बर 143, संकल्प संख्या 3 दिनांक 27.07.2022 को निरस्त किया जाता है तो गैर निगरानीकार संख्या 01 ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

गैर निगरानीकार संख्या 02 ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपने कब्जे शुदा भूखण्ड का पंचायतीराज अधिनियम के तहत आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत सेवा ने दिनांक 12.12.2021 को रसीद संख्या 153 के तहत 120 रूपये पट्टा शुल्क लेकर उक्त्त पट्टे की पत्रावली दिनांक 06.06.2022 को ग्राम पंचायत की कोरम पेश की हुई। कोरम ने सहमति से गैर निगरानीकार संख्या 2 के बाडे का मौका मुआयना हेतु वार्ड पं. सुवालाल, नोरत योगी, राजाराम चौधरी, शिवनारायण वार्ड पंचों को नियुक्त किया जिस पर दिनांक 26.06.2022 से पूर्व उक्त वार्ड पंचों ने मौका मुआयना कर उक्त भूखण्ड पर गैरनिगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने की सिफारिश/अनुशंषा की एवं अपनी रिपोर्ट पेश की। दिनांक 20.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

06.2022 को पंचों की रिपोर्ट के आधार पर कोरम ने सर्वसहमति से निर्णय लेकर आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लेकर आपत्ति नोटिस दिनांक 05.07.2022 को जारी किये। पत्रावली दिनांक 05.07.2022 को पुनः कोरम के समक्ष पेश हुई एवं पूर्व आदेशिका दिनांक 20.06.2022 की अनुपालना में आपत्ति नोटिस जारी होने से दिनांक 05.07.2022 तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कोरम के समक्ष पेश नहीं हुई उसके पश्चात कोरम के सामने मिन उत्तरदाता के उक्त भूखण्ड के कब्जे एवं उपयोग उपभोग बाबत् बयान लेखबद्ध किये एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध किये गये जिनमें पूरणचन्द बैरवा, सीताराम गुर्जर, नन्दलाल बैरवा, श्रीनारायण गुर्जर जो स्वतंत्र व्यक्ति है के कोरम के समक्ष बयान लेखबद्ध किये गये जिनमें उक्त गवाहान ने उक्त भूखण्ड पर पूर्व में मिन उत्तरदाता की सास सोनी देवी का कब्जा बताते हुये वर्तमान में मिन उत्तरदाता का कब्जा एवं उपयोग एवं उपभोग होने के बयान लेखबद्ध करवाये है एवं उक्त सम्पूर्ण गवाहान के बयानात के आधार पर विधिक प्रकिया अपनाते हुये उक्त पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु आगामी बैठक में पत्रावली पेश करने के आदेश हुये। उक्त पत्रावली दिनांक 20.07.2022 को ग्राम पंचायत सेवा की कोरम के समक्ष पेश हुई एवं पत्रावली में पेश पंचों की मौका मुआयना रिपोर्ट एवं गवाहान के बयानात एवं अंदर मियाद किसी की भी आपत्ति नहीं आने एवं उक्त भूखण्ड पर मिन उत्तरदाता का पुराना व वर्तमान कब्जा होने के साथ उक्त भूखण्ड पर कच्चा शौचालय बना होना, छडिया पडी होना एवं रोजमर्रा के कामकाज में आने वाले सामान रखा होना एवं उक्त भूमि आबादी में स्थित होने के साक्ष्य के आधार पर कोरम के बाद विचार विमर्श कर उक्त निर्णय लिया कि उक्त भूखण्ड पर मिन उत्तरदाता के कब्जे को देखते हुये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 157 के तहत मिन उत्तरदाता से 200 रूपये पट्टा शुल्क चार्ज कर मिन उत्तरदाता के पक्ष में पट्टा जारी किया। कोरम ने सर्वसहमति से निर्णय लिया जो पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.07.2022 से बखूबी साबित है। निगरानीकार ने श्रीमान् लोकायुक्त जयपुर व जिला कल्कटर व विकास अधिकारी दूदू के यहां दिनांक 29'.04.2024 को जरिये डाक उक्त पट्टा जारी कने बाबत शिकायत की जिस पर विकास अधिकारी महोदय, पं.स. मौजमाबाद ने एक जांच कमेठी गठित कर उक्त प्रकरण की जांच की जिसमें विकास अधिकारी ने सरपंच ग्राम पंचायत सेवा से जवाब मांगा तो सरपंच ग्राम पंचायत सेवा ने अपने पत्र क्रमांक 54 दिनांक 23.05.2024 को प्रस्तुत कर जांच कमेठी विकास अधिकारी को अवगत करवाया कि मनीषा देवी ने पट्टे का आवेदन करने पर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2022 में मजमे आम में नियमानुसार पट्टा कार्यवाही करते हुये वार्ड पंच कमेठी गठित कर वार्डपंचगण/पडौसी के बयान प्राप्त करके अनापत्ति नोटिस जारी करते हुये दिनांक 20.07.2022 को पत्रावली कोरम के समक्ष रखकर सर्वसहमती से प्रस्तुत अनुमोदन होने के उपरान्त दिनांक 27.07.2022 को नियमानुसार पत्रावली में पट्टा जारी किया गया है। गैरनिगरानीकार संख्या 1 ने माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.05.2024 को निगरानीकार से साजकर जवाब निगरानी पेश किया है एवं उसके 3 दिन बाद जांच कमेठी विकास अधिकारी महोदय मौजमाबाद के समक्ष अपना जवाब पत्र क्रमांक 54 दिनांक 23.05.2024 को पेश किया है जिसमें निगरानीकार संख्या 1 ने मिन उत्तरदाता के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है वह विधि अनुरूप जारी करने एवं वैद्य रूप से जारी करना बताया है जबकि गैरनिगरानीकार संख्या 1 ने माननीय न्यायालय के समक्ष झुठे कथन दर्ज करते हुए माननीय न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से झुठे कथनों के आधार पर जवाब निगरानी पेश की है, जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकार व गैर निगरानीकार संख्या 1 ने परस्पर मिलकर मिन उत्तरदाता के पट्टे को निरस्त करवाने के लिए षडयंत्रपूर्वक उक्त निगरानी पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकार संख्या 1 ने अपने आपको पप्पू उर्फ रमेश का दत्तक पुत्र बताया है एवं गोदनामें का उल्लेख किया है तथाकथित फर्जी व कुटरचित तैयार किया गया है एवं गोदनामा अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

होने से उक्त दस्तावेज कुटरचित दस्तावेजात की श्रेणी में आता है एवं हिन्दू उत्तराधिकारी एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी को दत्तक पुत्र ग्रहण करना चाहता है तो सात वर्ष की उम्र से पहले उसके प्राकृतिक माता पिता की सहमति से पहले गोद लेकर गोदनामा पंजीयन अधिकारी के यहां उपस्थित होकर गोदनामा का पंजीयन करवाना आवश्यक है बिना पंजीयन के एवं अमुद्रांकित दस्तावेज विधि विरुद्ध दस्तावेज होकर शून्य की श्रेणी में आता है। उक्त वाद अधिन भूखण्ड का एक मुकदमा मनीषा बनाम मदनलाल जिसके मुकदमा संख्या 24/2024 है जो माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0 दूदू के यहां विचाराधीन है। कब्जे व मालिकाना से संबंधित विवाद का निरतारण तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों के बयान लेखबद्ध करने के पश्चात ही मुकदमें का निरतारण करेगा। जिससे बचने एवं उक्त मुकदमें की कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से निगरानी पेश की है। निगरानीकार ने गैरनिगरानीकार संख्या 1 से साजकर ग्रामीण विकास अधिकारी सेवा को उक्त निगरानी में बिना पक्षकार कायम किये ही उक्त निगरानी पेश की है जबकि उक्त पट्टा ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील से जारी किया हुआ दस्तावेज है। ग्राम विकास अधिकारी सेवा जो कि एक आवश्यक पक्षकार है निगरानीकार ने उक्त निगरानी पक्षकारों के कुसंयोजन के साथ पेश की है जो नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स होने से खारिज किये जाने योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या 2 एक विधवा एवं असहाय महिला है जिसको हैरान परेशान व खर्चे से जेरकार करने एवं लाठी के बल पर उक्त भूखण्ड को हथियाने के उद्देश्य से उक्त निगरानी पेश की है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया तथा संबंधित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा निगरानी में कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेजात पेश करने में असफल रहे कि जिससे साबित हो कि किस प्रकार गैर निगरानीकार को जारी पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 01 ने अपने जवाब व लिखित बहस में यह स्पष्ट नहीं किया है कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा कौनसे तथ्यों को छुपाकर उक्त पट्टा जारी करवा लिया है, ओर गलत पट्टा जारी होने पर क्या कार्यवाही की गई। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेजात पेश करने में असफल रहे कि जिससे साबित हो कि किस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 2 को जारी पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 को जारी निगरानीधीन पट्टा में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही समझते है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 का पट्टे की सीमा से बाहर यदि कोई अतिक्रमण पाया जावे तो उसके लिए ग्राम पंचायत सेवा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 को जारी निगरानीधीन पट्टा में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही समझते है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1997 खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner